REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062025-264148 CG-DL-E-25062025-264148

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

| सं. 370] | नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 2025/आषाढ़ 4, 1947       |
|----------|---|
| No. 370] | NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 2025/ASHADHA 4, 1947 |

## नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2025

सा.का.नि. 413(अ).—भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 34 की अपेक्षा के अनुसार भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना, संख्या सा.का.नि. 110(अ), तारीख 3 फरवरी, 2025, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड(i) में रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति नियम, 2025 का प्रारूप प्रकाशित किया गया था, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि का अवसान होने से पहले आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप नियम जनता को 3 फरवरी, 2025 को उपलब्ध करा दिए गए थे;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अब, अतः, भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 10, धारा 11, धारा 19, धारा 30 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: - 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

# 2. परिभाषाएँ.–

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024(2024 का 16) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति" से रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(ग) "महानिदेशक" से महानिदेशक नागर विमानन अभिप्रेत है;

(घ) "रेडियो विनियम" से विश्व रेडियो संचार सम्मेलन (जिनेवा 1995) द्वारा अंगीकार किए गए विनियम अभिप्रेत हैं और इसमें भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित प्रत्येक पुनरीक्षण या उपांतरण शामिल है;

(ङ) "महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट" से महानिदेशक द्वारा इन नियमों के अधीन जारी किए गए निदेश अभिप्रेत हैं और नागर विमानन महानिदेशालय के सार्वजनिक डोमेन में रखे गए हैं;

(2) इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए और भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें उक्त अधिनियम में दिया गया है।

3. रेडियो-टेलीफोन यंत्र का प्रचालन.- कोई भी व्यक्ति, किसी भी वायुयान स्टेशन या वायुयान पृथ्वी स्टेशन की रेडियो टेलीफोन सेवा का प्रचालन तब तक नहीं करेगा या प्रचालन करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा जो वैमानिक मोबाइल सेवा या वैमानिक मोबाइल-उपग्रह सेवा के लिए अनन्य रूप से आवंटित आवृत्तियों पर प्रचालित हो,

जब तक कि उसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी या मान्यता प्राप्त वैध रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति न हो।

**4. अनुज्ञापन प्राधिकरण.-** केंद्रीय सरकार रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने या विस्तार के लिए प्राधिकरण होगी।

5. रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति जारी करना.- केंद्रीय सरकार, इन नियमों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने वाले व्यक्तियों को, यथास्थिति, रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति अनुदत्त या विस्तारित कर सकती है।

6. रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता.- कोई भी व्यक्ति तब तक इन नियमों के अधीन परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि आवेदक, -

(क) आवेदन की तारीख को सोलह वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो;

(ख) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा या इसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो:

परंतु कि यदि आवेदक परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे परीक्षा की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पुनः परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

परंतु यह और कि, यदि आवेदक भारत का नागरिक नहीं है तो उसे सुरक्षा मंजूरी भारत सरकार से अभिप्राप्त करनी होगी।

7. आवेदन प्रस्तुत करना.- रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए परीक्षा में उपस्थित होने के लिए महानिदेशक को आवेदन, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति से किया जाएगा। 8. परीक्षाएं.- (1) रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(2) महानिदेशक भारत में परीक्षा केन्द्र नियत कर सकते हैं, निरीक्षक नियुक्त कर सकते हैं तथा परीक्षाएं संचालित करने की प्रक्रिया अधिकथित कर सकते हैं।

(3) महानिदेशक व्यावहारिक परीक्षा आयोजित करने के लिए महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने वाले परीक्षकों को प्राधिकृत कर सकते हैं।

(4) रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाण-पत्र और अनुज्ञप्ति परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

(क) लिखित परीक्षा; तथा

(ख) व्यावहारिक परीक्षा:

परंतुक, कोई भी आवेदक तब तक व्यावहारिक परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो:

परंतु यह और भी कि महानिदेशक निम्नलिखित आवेदकों को लिखित परीक्षा से छूट दे सकते हैं:

(i) भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना या भारतीय सेना या भारतीय तटरक्षक बल का कोई अर्हित पायलट जिसके पास महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यक उड़ान अनुभव और सक्षमता अनुज्ञप्ति हो;

(ii) भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी (वाणिज्य रेडियो प्रचालक की दक्षता प्रमाणपत्र तथा वायरलेस टेलीग्राफी प्रचालित करने की अनुज्ञप्ति नियम, 1954) के अधीन जारी वैध रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति रखने वाला व्यक्ति;

(iii) राष्ट्रमंडल देशों या फिलीपींस द्वारा जारी वैध उड़ान रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर अनुज्ञप्ति या इसके समतुल्य अनुज्ञप्ति रखने वाला व्यक्ति:

परंतु यह भी कि यदि इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले अनुदत प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया है या ऐसे प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति से संबंधित किसी कार्यवाही के लंबित होने की दशा में, ऐसे प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति का धारक निलंबन अवधि के अवसान तक परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा:

(i) महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार विनियमन और प्रक्रिया, रेडियो सिद्धांत और पद्धति और रेडियो टेलीफोनी को कवर करने वाली लिखित परीक्षा;

(ii) रेडियो टेलीफोनी का व्यावहारिक परीक्षण जिसमें व्यावहारिक परीक्षा है, नकली वातावरण में आयोजित किया जाएगा, तथा आवेदक से अपेक्षित होगा कि वह –

(क) ध्वन्यात्मक वर्णमाला तथा रेडियो-टेलीफोन कार्य करने की साधारण प्रक्रिया का उपयोग करे;

(ख) मोबाइल तथा/या बेस स्टेशनों से सहबद संचार कार्य करे।

**स्पष्टीकरण** – खंड (ii) के प्रयोजनार्थ, आवेदक से प्रसारण के लिए संदेश तैयार करना, यातायात का आदान-प्रदान, प्राथमिकताओं का उपयोग, मौसम संबंधी जानकारी अभिप्राप्त करना, स्थिति रिपोर्ट, संकट, तात्कालिकता, तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करने की अपेक्षा की जाती है ।

(6) रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाण-पत्र और अनुज्ञप्ति अनुदत करने के लिए आवेदक को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर व्यावहारिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी: परंतु कि उप-नियम (4), के अधीन लिखित परीक्षा में बैठने से छूट प्राप्त आवेदक या व्यक्ति को तीन प्रयासों से अधिक के लिए व्यावहारिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इन तीन प्रयासों के दौरान उत्तीर्ण होने में असफल होने पर उसे उत्तरवर्ती व्यावहारिक परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने से पहले फिर से लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी अपेक्षित होगी।

9. फीस और अन्य प्रभार.- (1) रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाण-पत्र और अनुज्ञप्ति परीक्षा के लिए संदेय फीस निम्नानुसार है:

- (क) लिखित परीक्षा: दो हजार रुपये प्रति परीक्षा;
- (ख) व्यावहारिक परीक्षा: पांच सौ रुपये प्रति परीक्षा ।
- (2) रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाण-पत्र और अनुज्ञप्ति जारी करने की फीस पांच हजार रुपए होगी।
- (3) प्रमाण-पत्र और अनुज्ञप्ति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए फीस पांच सौ रुपए होगी।
- (4) फीस इलैक्ट्रॉनिक रूप से या महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार संदत की जाएगी।

**10. प्रमाण-पत्र और अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अपेक्षाएं.**- रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाण-पत्र और अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक को निम्नलिखित अपेक्षाएँ पूरी करनी होंगी, अर्थात्:

- (क) आयु आवेदक, आवेदन की तारीख को सोलह वर्ष की आयु से कम नहीं होगा;
- (ख) शैक्षिक अर्हता आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा या उसके समतुल्य इसके समकक्ष उत्तीर्ण किया हो;
- (ग) ज्ञान आवेदक को नियम 8 के अधीन यथा उपबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

**11. प्रमाण पत्र और अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता**.- (1) इन नियमों के अधीन अनुदत रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाण पत्र और अनुज्ञप्ति, जब तक कि निलंबित या रद्द न कर दिया जाए, धारक के अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वैध रहेगा:

परंतु कि प्रमाण पत्र और अनुज्ञप्ति को अस्सी वर्ष की आयु से आगे बढ़ाया जा सकता है, यदि धारक महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने के दिन से विद्यमान प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति इसके अवसान तक वैध बने रहेंगे और धारक को नियम 8 के अधीन यथाउपबंधित व्यावहारिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर धारक को इन नियमों के अधीन प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति अनुदत किया जा सकता है।

**12. प्रचालन के लिए प्राधिकरण की परिधि.**- रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति का धारक, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर निम्नलिखित रूप में मोबाइल स्टेशनों का प्रचालन कर सकता है:

(क) समुद्री मोबाइल सेवा की आवृत्तियों पर काम करते समय किसी भी वायुयान स्टेशन की रेडियोटेलीफोन सेवा को पूरा करना, परंतुक कि :-

(i) ट्रांसमीटर की पीक एनवेलोप शक्ति 200 वाट से अधिक न हो, या

(ii) ट्रांसमीटर के प्रचालन के लिए केवल सरल बाहरी स्विचिंग युक्तियों के उपयोग की अपेक्षा होती है, जिसमें आवृत्ति अवधारण तत्वों के सभी मैनुअल समायोजन को अपवर्जित करते हुए, रेडियो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट सहनशीलता की सीमा के भीतर स्वतः ट्रांसमीटर द्वारा बनाए रखी गई आवृत्तियों की स्थिरता और ट्रांसमीटर की पीक एनवेलोप शक्ति 1.5 किलोवाट से अधिक नहीं होती है।

(ख) वैमानिक मोबाइल सेवा के लिए अनन्य रूप से आवंटित आवृत्तियों पर प्रचालित किसी भी वायुयान स्टेशन की रेडियोटेलीफोन सेवा को पूरा करना: परंतु कि ट्रांसमीटर के प्रचालन के लिए केवल सरल बाहरी स्विचिंग युक्तियों के उपयोग की अपेक्षा होती है, जिसमें आवृत्ति अवधारण तत्वों के सभी मैनुअल समायोजन को अपवर्जित किया जाता है, और आवृत्तियों की स्थिरता रेडियो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट सहनशीलता की सीमाओं के भीतर स्वतः ट्रांसमीटर द्वारा ही बनाए रखी जाती है।

13. प्रमाण पत्र और अनुज्ञप्ति का उत्पादन.- इन नियमों के अधीन अनुदत किया गया कोई भी प्रमाण पत्र और अनुज्ञप्ति, नागर विमानन महानिदेशालय के किसी भी अधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित लिखित में विशेष या साधारण आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के प्रयोजन से मांगे जाने पर अनुज्ञप्ति धारक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

14. प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति की अनुलिपि प्रति जारी करना या उसमें परिवर्तन करना.- (1) वह धारक जिसका प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति खो गया है, विकृत हो गया है या नष्ट हो गया है, उसे महानिदेशक को इसकी सूचना देनी होगी।

(2) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति की अनुलिपि प्रति जारी करने या विधमान प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति में परिवर्तन करने के लिए आवेदन, महानिदेशक को, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में किया जाएगा।

15. प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति धारण करने या प्राप्त करने से निरईता.- (1) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् किसी व्यक्ति ने –

(क) तात्विक सूचना को छिपाकर या गलत सूचना या प्रतिरूपण के आधार पर प्रमाण-पत्र और अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त कर लिया है या प्रमाण-पत्र और अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया में है; या

(ख) प्रमाण-पत्र और अनुज्ञप्ति में प्रविष्ट विशिष्टयों के विवरण में अप्राधिकृत रूप से परिवर्तन किया है या छेड़छाड़ की है,

तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, कारणों को लेखबद्ध करके, उस व्यक्ति को इन नियमों के अधीन प्रमाण-पत्र और अनुज्ञप्ति धारण करने या प्रमाण-पत्र और अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निरहित ठहराने वाला आदेश दे सकता है।

(2) केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को इन नियमों में के अधीन जारी प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति धारण करने से स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रोक सकती है, यदि उसकी राय में लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो।

(3) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन कोई आदेश जारी होने पर, प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति धारक, अपना प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरन्त वापस कर देगा, यदि प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति पहले से ही वापस नहीं किया गया है।

**16. प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति का रद्दकरण या निलंबन**.- (1) जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति,-

(क) इन नियमों के उपबंधों या नियम 18 के अधीन जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या उसका अनुपालन करने में असफल रहा है; या

(ख) परीक्षा के दौरान अनुचित साधन का प्रयोग किया हो, प्रतिरूपण करने या जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने या गलत या झूठे विवरण देने या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का दोषी पाया गया हो; या

(ग) इन नियमों के अधीन जारी प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति को धोखाधड़ी से अन्य व्यक्ति को दिया है या किसी अन्य व्यक्ति को इसका उपयोग करने की अनुमति दी है,

कारणों को लेखबद्ध करते हुए किसी भी प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकता है, और धारक को प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति के रद्दकरण या निलंबन के लिए उसे वापस जमा करना पड़ सकता है।

(2) केन्द्रीय सरकार किसी भी प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकती है, यदि उसकी राय में लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो। (3) केन्द्रीय सरकार, किन्ही प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति के धारक से उसे रद्द या निलंबित करने के लिए उसे वापस जमा करने की अपेक्षा कर सकती है और कोई भी व्यक्ति युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसी किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहने पर इन नियमों का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा।

(4) उप-नियम (2) के अधीन लोकहित में किसी प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति के निलंबन के किसी आधार के संबंध में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा तथा अनुज्ञप्ति धारक पर बाध्यकारी होगा।

17. अपील.- (1) कोई व्यक्ति, जो इन नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, अधिनियम की धारा 33 के उपबंधों के अनुसार अपील कर सकता है।

(2) कोई अपील, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में, सहायक दस्तावेजों तथा एक हजार रुपए के फीस के साथ, इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप–क में, यथास्थिति पहले अपीलीय अधिकारी या दूसरे अपीलीय अधिकारी को की जाएगी।

(3) ऐसा अपीलीय अधिकारी, आवेदक से कोई भी सूचना, अभिलेख या अन्य दस्तावेज मांग सकता है, यदि वह उसे अपील के लिए सुसंगत समझे।

(4) अपीलीय प्राधिकारी, की गई अपील और अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक तथ्यों के आधार पर लिखित रूप में सकारण आदेश पारित करेगा।

(5) अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति अपीलकर्ता को निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

18.महानिदेशक द्वारा निदेश.- (1) महानिदेशक, नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) नाम से विशेष निदेश जारी कर सकते हैं जो इस अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के साथ असंगत नहीं हैं, जो विमान और संबद्ध युक्तियों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए रेडियो टेलीफोन या टेलीग्राफ के प्रचालन में संलग्न व्यक्तियों को रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति की जांच, अनुदान और विस्तार से संबंधित हैं।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) को नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर तीस दिनों की अवधि के लिए प्रारूप अपलोड के पश्चात जारी किया जाएगा ताकि इससे प्रभावित होने वाले सभी संभाव्य व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जा सकें:

परंतु कि महानिदेशक, लोकहित में तथा लिखित आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की अपेक्षा से अनिमुक्त कर सकते हैं या ऐसी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने की अवधि को कम कर सकते हैं।

(3) उप-नियम (1) के अधीन जारी प्रत्येक निदेश का अनुपालन उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें ऐसा निदेश जारी किया गया है।

(4) महानिदेशक, लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को उप-नियम (1) के अधीन जारी किए गए निदेशों के प्रचालन से पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगा, ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं।

**19.अपराधों का शमन.**- (1) अधिनियम की धारा 25 की (4) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार कोई भी व्यक्ति जिसने नियम 3 का उल्लंघन किया है, पर जुर्माना लगाया जा सकता है जो एक करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन दंडनीय अपराध का शमन महानिदेशक या इस निमित विशेष रूप से सशक्त ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है तथा ऐसे अपराध के शमन की रकम एक लाख रुपए होगी।

(3) किसी अपराध के शमन के लिए आवेदन, आवेदक द्वारा महानिदेशक या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित विशेष रूप से सशक्त किसी अधिकारी को सहायक दस्तावेजों और महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति में एक हजार रुपए की फीस के साथ प्ररूप-ख में किया जाएगा।

(4) शमन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसा अधिकारी प्रस्तुत दस्तावेजों और आवेदन में किए गए निवेदनों के आधार पर आवेदन की जांच करेगा।

अन्य नियम के अधीन अनुदत्त किया गया है।

(5) ऐसा अधिकारी, आवेदक से किसी भी जानकारी, अभिलेख या किसी अन्य दस्तावेज की मांग कर सकता है, यदि वह उसे शमन कार्यवाही के लिए सुसंगत मानता है और यदि आवेदक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मांगी गई अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है, तो शमन के लिए आवेदन की अस्वीकृति के लिए दायी होगा।

(6) ऐसा अधिकारी शमन कार्यवाही में भाग लेने के लिए मामले के सभी संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर सकता है।

(7) शमन कार्यवाही के दौरान, ऐसा अधिकारी आवेदक को सुनवाई का सम्यक अवसर देने के पश्चात, उप-नियम (2) के अनुसार अपराध का शमन करेगा और जहां आवेदक को रकम स्वीकार्य नहीं है तो आवेदक इसे ऐसे अधिकारी को तीन दिन के भीतर या ऐसे अधिकारी द्वारा अवधारित युक्तियुक्त अवधि के भीतर लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(8) आवेदक द्वारा प्रस्तुत करने या ऐसे युक्तियुक्त समय में ऐसी रकम प्रस्तुत न करने के पश्चात, शमन कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और मामले को अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा और अधिकारी इन कार्यवाहियों के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(9) वह रकम जिसके लिए अपराध का शमन किया गया है, उसे शमन के विनिश्चय की तारीख के तीस दिन के भीतर महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदत्त की जाएगी।

(10) यदि कोई व्यक्ति आदेश के तीस दिनों के भीतर शमन की रकम का संदाय करने में विफल रहता है, तो उसे अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अधीन किसी भी अपराध के शमन के लिए कभी आवेदन को नहीं किया गया माना जाएगा।

(11) अपराधों के शमन की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जाएगी तथा आवेदान की तारीख से साठ दिन के बाद नहीं और साठ दिनों की इस अवधि को महानिदेशक द्वारा असाधारण परिस्थितियों में, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, नब्बे दिन तक बढ़ाया जा सकता है।

20. जारी प्रमाण पत्र और अनुज्ञप्ति की व्यावृत्ति.- इन नियमों में निहित कोई भी बात रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और अनुज्ञप्ति के प्रचालन पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसे भारतीय वायरलेस टेलिग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो प्रचालक की दक्षता का प्रमाण पत्र और वायरलेस टेलिग्राफी प्रचालित करने की अनुज्ञप्ति) नियम, 1954 या जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम के अधीन या इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख तक लागू किसी

|     | फॉर्म-क  |  |  |
|-----|--|--|--|
|     | (नियम 17 देखिए)  |  |  |
|     | अपील अधिकारी को अपील का प्ररूप (पहला/दूसरा)              |  |  |
| 1.  | अपीलकर्ता का नाम   |  |  |
| 2.  | पता  |  |  |
| 3.  | ईमेल पता   |  |  |
| 4.  | फोन नंबर   |  |  |
| 5.  | पहली अपील/दूसरी अपील                                     |  |  |
| 6.  | आदेश संख्या, तारीख के साथ जिसके विरुद्ध अपील की गई है    |  |  |
|     | (आदेश की प्रति संलग्न की जाए)                            |  |  |
| 7.  | अधिकारी का नाम और पद जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया है |  |  |
| 8.  | नियमों का उल्लंघन जिसके लिए आदेश पारित किया गया          |  |  |
| 9.  | आदेश का प्रभावी भाग                                      |  |  |
| 10. | वह तारीख जिस दिन अपीलकर्ता को आदेश की प्रति प्राप्त हुई  |  |  |
| 11. | 30 दिन की सीमा अवधि पूरी होने की तारीख                   |  |  |
| 12. | मामले के संक्षिप्त तथ्य                                  |  |  |

| 13. | अपील के आधार                                    |  |
|-----|---|--|
| 14. | अपीलकर्ता की प्रार्थना                          |  |
| 15. | फीस और संव्यवहार का विवरण                       |  |
| 16. | अन्य विवरण, सहायक दस्तावेजों के साथ, यदि कोई हो |  |

सत्यापन

मैं\_\_\_\_\_, अपीलकर्ता, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर बताई गई बात मेरी जानकारी और विश्वास के

अनुसार सत्य है।

अपीलकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

|                           | प्ररूप-ख                                  |  |  |
|---------------------------|---|--|--|
|                           | (नियम 19 देखिए)                           |  |  |
| अपराध के शमन के लिए आवेदन |   |  |  |
| 1.                        | आवेदक का नाम                              |  |  |
| 2.                        | पता                                       |  |  |
| 3.                        | ईमेल पता                                  |  |  |
| 4.                        | फोन नंबर                                  |  |  |
| 5.                        | वह प्राधिकारी जिसके समक्ष मामला लंबित है: |  |  |
| 6.                        | धाराओं या नियमों का उल्लंघन               |  |  |
| 7.                        | मामले के संक्षिप्त तथ्य                   |  |  |
| 8.                        | मामले से सुसंगत कोई अन्य जानकारी          |  |  |
| 9.                        | आवेदक की प्रार्थना                        |  |  |
| 10.                       | फीस और संव्यवहार का विवरण                 |  |  |
| 11.                       | अनुलग्नक, यदि कोई हो                      |  |  |
|                           | ਸੁਰਾਸਤ                                    |  |  |

सत्यापन

मैं\_\_\_\_\_, आवेदक, यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

तारीख: स्थान:

> [फा. सं. ए. वी. /25/2023-डी.जी.] शोभित गुप्ता, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF CIVIL AVIATION

#### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 25th June, 2025

**G.S.R. 413(E).**—Whereas, the draft of the Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence Rules, 2025 was published, as required by section 34 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024), in the notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, *vide* number G.S.R. 110(E), dated the 3<sup>rd</sup> February, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of fifteen days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the said draft rules were made available to the public on the 3<sup>rd</sup> February, 2025;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules within the period specified have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 10, 11, 19, 30, and 33 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

#### 2. Definitions. —

(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024);
- (b) "Certificate and Licence" means Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence;
- (c) "Director General" means Director General of Civil Aviation;
- (d) "Radio Regulations" means the regulations adopted by the World Radiocommunication Conference (Geneva
- 1995) and includes every revision or modification ratified by the Government of India;

(e) "specified by the Director General" means the directions issued by the Director General under these rules and placed in public domain of the Directorate General of Civil Aviation;

(2) The words and expressions used herein and not defined and defined in the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024), shall have the same meaning as assigned to them in the said Act.

- 3. Operation of radio-telephone apparatus. No person shall operate or allow to operate radio telephone service of any aircraft station or aircraft earth station operating on frequencies allocated exclusively to the aeronautical mobile service or to the aeronautical mobile- satellite service, unless he holds a valid Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence issued or recognised by the Central Government.
- 4. Licensing Authority. The Central Government shall be the authority to grant or extend the Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence.

- 5. Issuance of Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence.— The Central Government may grant or extend, as the case maybe, Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence to persons who have fulfilled the requirements specified in these rules.
- 6. Eligibility for appearing in Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence examination. No person shall be eligible for appearing in the examination under these rules, unless the applicant, —
  - (a) has attained the age of sixteen years on the date of application;
  - (b) has passed Class X or its equivalent examination from a recognised Board:

Provided that an applicant who fails in the examination shall not be permitted to appear for re-examination within a period of six weeks from the date of examination:

Provided further that if the applicant is not a citizen of India, security clearance shall be obtained from the Government of India.

- 7. Submission of application. An application for appearing in the examination for the grant of a Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence shall be made to the Director General in the form and manner as specified by the Director General.
- 8. Examinations. (1) The examination for the grant of a Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence shall be held in the form and manner as specified by the Director General.
  - (2) The Director General may fix examination centres in India, appoint invigilators, and lay down the procedure for conducting the examinations.
  - (3) The Director General may authorise examiners meeting the requirements as specified by the Director General for carrying out the practical examination.
  - (4) The Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence examination shall consist of:
    - (a) written examination; and
    - (b) practical examination:

Provided that no applicant shall be eligible to appear in the practical examination unless he has passed the written examination:

Provided further that the Director General may exempt the following applicants from the written examination:

 (i) a qualified pilot from the Indian Air Force, Indian Navy or Indian Army or Indian Coast Guard who possesses the necessary flying experience and competency as specified by the Director General;

- (ii) a person holding a valid Radio Telephone Operator's (Restricted) Certificate and Licence issued under the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operator's Certificate of Proficiency and Licence to Operate Wireless Telegraphy) Rules 1954 ;
- (iii) a person holding a valid Flight Radio Telephone Operator's Licence or its equivalent issued by Commonwealth countries or Philippines:

Provided also that in case a Certificate and Licence granted before the commencement of these rules has been suspended or in case of pendency of any proceeding connected with such Certificate and Licence, the holder of such Certificate and Licence shall not be eligible for appearing in the examinations until the expiry of suspension period.

- (5) The syllabus for the examination shall be as under:
  - *(i)* written examination covering regulation and procedure, radio principles and practice and radio telephony as per the syllabus specified by the Director General;
  - *(ii)* practical examination consisting of a practical test of radio telephony conducted over simulated environment and the applicant shall be required to —

(a) use phonetic alphabets and general procedure of radio-telephone working;

(b) carry out communications associated with mobile and/or base stations.

*Explanation* — for the purposes of clause (ii), the applicant is expected to carry out preparation of messages for transmission, exchange of traffic, use of priorities, obtaining meteorological information, position report, distress, urgency, and the like.

(6) An applicant for the grant of Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence shall have passed the practical examination within three years from the date of passing the written examination:

Provided that the applicant or a person exempted from appearing in the written examination under sub-rule (4), shall not be permitted to appear in the practical examination for more than three attempts and on failing to pass during these three attempts, shall be required to pass the written examination again prior to being allowed to appear in subsequent practical examinations.

- **9.** Fee and other charges. (1) The fee payable for the Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence Examination is as under:
  - (a) written examination: Rupees two thousand per examination;
  - (b) practical examination: Rupees five hundred per examination.
  - (2) The fee for issuance of Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence shall be Rupees five thousand.
  - (3) The fee for issuance of duplicate Certificate and Licence shall be Rupees five hundred.
  - (4) The fee shall be paid electronically or as specified by the Director General.

- **10.** Requirements for issue of Certificate and Licence. An applicant for Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence shall fulfil the following requirements, namely:
  - (a) Age the applicant shall be not less than sixteen years of age on the date of application;
  - (b) Educational Qualification the applicant shall have passed Class X or its equivalent from a recognised Board;
  - (c) Knowledge the applicant shall have passed examinations as provided under rule 8.
- 11. Validity of Certificate and Licence. (1) The Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence granted under these rules, unless suspended or cancelled, shall remain valid till the holder attains the age of eighty years:

Provided that a Certificate and Licence may be extended beyond the age of eighty years, subject to the holder fulfilling the requirements specified by the Director General.

(2) A Certificate and Licence existing on the day of commencement of these rules shall continue to be valid till its expiry and the holder may be granted Certificate and Licence under these rules subject to the holder passing the practical examination as provided under rule 8.

- 12. Scope of Authority to operate. The holder of a Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence may, subject to fulfilling conditions as specified by the Central Government, operate mobile stations as under:
  - (a) carry out the radiotelephone service of any aircraft station, when working on frequencies of the maritime mobile service, provided that:
    - (i) the peak envelope power of the transmitter does not exceed 200 watts, or
    - (ii) the operation of the transmitter requires only the use of simple external switching devices, excluding all manual adjustment of frequency determining elements, with the stability of the frequencies maintained by the transmitter itself within the limit of tolerance specified by Radio Regulations and the peak envelope power of the transmitter does not exceed 1.5 kilowatts.
  - (b) carry out the radiotelephone service of any aircraft station operating on frequencies allocated exclusively to the aeronautical mobile service:

Provided that the operation of the transmitter requires only the use of simple external switching devices, excluding all manual adjustment of frequency determining elements, and that the stability of the frequencies is maintained by the transmitter itself within the limits of tolerance specified by the Radio Regulations.

13. Production of Certificate and Licence. — Any Certificate and Licence granted under these rules shall, on demand for the purpose of inspection by any officer of the Directorate General of Civil Aviation, or any other person authorised by the Central Government by special or general order in writing in this behalf, be produced by the holder of the licence.

- 14. Issue of duplicate or variation in a Certificate and Licence. (l) A holder whose Certificate and Licence has been lost, mutilated or destroyed shall inform the same to the Director General.
  - (2) An application for issue of duplicate Certificate and Licence or variation in an existing Certificate and Licence shall be made to the Director General in the form and manner as specified by the Director General.
- **15.** Disqualification from holding or obtaining a Certificate and Licence. (1) Where the licensing authority is satisfied, after giving him an opportunity of being heard, that any person,
  - (a) has obtained the Certificate and Licence or is in the process of obtaining Certificate and Licence, by suppression of material information or on basis of wrong information or impersonation; or
  - (b) has unauthorisedly varied or tampered with the particulars entered in a Certificate and Licence,

the licensing authority may, for reasons to be recorded in writing, make an order disqualifying that person for a specified period from holding a Certificate and Licence or from obtaining a Certificate and Licence under these rules.

(2) The Central Government may, by an order, debar a person permanently or temporarily from holding any Certificate and Licence, issued under these rules, if in its opinion it is necessary to do so in public interest.

(3) Upon the issue of any order under sub-rule (1) or sub-rule (2), the holder of a Certificate and Licence, shall forthwith surrender his Certificate and Licence to the licensing authority, if the Certificate and Licence has not already been surrendered.

- 16. Cancellation or suspension of Certificate and Licence. (1) Where the licensing authority is satisfied, after giving him an opportunity of being heard, that any person,
  - (a) has contravened or failed to comply with the provisions of these rules or any directions issued under rule 18; or
  - (b) has adopted unfair means during the examination, found guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information; or
  - (c) has fraudulently lend the Certificate and Licence issued under these rules or allow it to be used by any other person,

for reasons to be recorded in writing, may suspend or cancel any Certificate and Licence, and may require the holder to surrender the same for cancellation or suspension.

(2) The Central Government may suspend or cancel any Certificate and Licence, if in its opinion it is necessary to do so in the public interest.

(3) The Central Government may require the holder of any Certificate and Licence granted to surrender it for cancellation or suspension and any person failing to comply with any such requirement within a reasonable time shall be deemed to have acted in contravention of these rules.

(4) The decision of the Central Government as to any ground for suspension of any Certificate and Licence in the public interest under sub-rule (2), shall be final and binding on the holder of the licence.

17. Appeal. — (1) Any person, aggrieved by an order passed by an officer in exercise of the powers conferred on him by these rules, may prefer appeal in accordance with the provisions of section 33 of the Act.

(2) An appeal shall be made to the First Appellate Officer or Second Appellate Officer, as the case may be, in the Form-A appended to these rules along with the supporting documents and fee of rupees one thousand in the manner as specified by the Director General.

(3) Such Appellate Officer may call for any information, record or any other document from the applicant, if the same is considered relevant to the appeal.

(4) The Appellate authority based on the appeal made and material fact(s) available on record shall pass a speaking order in writing.

(5) The copy of order so passed by appellate officer shall be provided free of cost to the appellant.

18. Directions by Director General. — (1) The Director General may issue special directions titled Civil Aviation Requirements (CAR) not inconsistent with the provisions of the Act or these rules, relating to the examination, grant and extension of Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence to persons for engaging in the operation of radio telephone or telegraph for the conduct of operation and maintenance of aircraft and associated equipment.

(2) The Civil Aviation Requirements under sub-rule (1) shall be issued after placing the draft on the website of the Directorate General of Civil Aviation for a period of thirty days for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby:

Provided the Director General may, in the public interest and by order in writing, dispense with the requirements of inviting such objections and suggestions or reduce the period for submitting such objections and suggestions.

(3) Every direction issued under sub-rule (1) shall be complied with by the person or persons to whom such direction is issued.

(4) The Director General may, by general or special order in writing, exempt any person or class of persons from the operation of the directions issued under sub-rule (1) either wholly or partially, subject to such conditions, if any, as may be specified in such order.

19. Compounding of offence. — (1) For the purposes of sub-section (4) of section 25 of the Act, the Central Government may punish any person who has breached rule 3 with fine only which may extend up to one crore rupees.

(2) Offence punishable under sub-rule (1) may be compounded by the Director General or any officer specially empowered in that behalf and amount for compounding of such offence shall be one lakh rupees.

(3) An application for compounding of an offence shall be made by the applicant to the Director General or any officer specially empowered by the Central Government in this behalf in Form-B appended to these rules along with supporting documents and fee of rupees one thousand in the manner as specified by the Director General.

(4) On receipt of the application for compounding, such officer shall examine the application based on the documents submitted and submissions made in the application.

(5) Such officer may call for any information, record or any other document from the applicant, if the same is considered relevant to the compounding proceedings and in case the applicant fails to submit the additional information or documents called for within the specified period, the application for compounding shall be liable for rejection.

(6) Such officer may issue notice to all the persons concerned of the case to participate in the compounding proceedings.

(7) During the compounding proceedings, such officer after giving due opportunity to the applicant of being heard, shall compound the offence in accordance with the sub-rule (2) and where the amount is not acceptable to the applicant, then the applicant shall submit an application in writing in this regard to such officer within three days or within such reasonable period as determined by such officer.

(8) After such submission by the applicant or non-submission of such amount within reasonable time, the compounding proceedings shall cease and the matter shall be proceeded further in accordance with the provisions of the Act and these rules and the Officer shall prepare a report in respect of these proceedings.

(9) The amount for which the offence is compounded shall be paid electronically in the manner as specified by the Director General within thirty days of the date of decision of compounding.

(10) In case a person fails to pay the amount for compounding within thirty days of the order, he shall be deemed to have never made an application for compounding of any offence under the provisions of the Act and these rules.

(11) The process of compounding of offences shall be completed expeditiously and not later than sixty days from the date of application and this period of sixty days may be extended upto ninety days by the Director General, for reasons to be recorded in writing, in exceptional circumstances.

20. Saving of Certificate and Licence issued. — Nothing in these rules shall affect the operation of Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence which has been granted under the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operator's Certificate of Proficiency and Licence to Operate Wireless Telegraphy) Rules 1954 or any other rule for the time being in force prior to the commencement of these rules or till a date is notified by the Central Government in this regard.

|          | FORM-A   |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|
|          | (See rule 17)  |  |  |  |  |
|          | Form of appeal (First/Second) to the Appellate Officer   |  |  |  |  |
| 1.       | Name(s) of the Appellant   |  |  |  |  |
| 2.       | Address  |  |  |  |  |
| 3.       | Email Address  |  |  |  |  |
| 4.       | Phone No.  |  |  |  |  |
| 5.       | First Appeal/ Second Appeal  |  |  |  |  |
| 6.       | Order No. with Date, against which the appeal is preferred   |  |  |  |  |
| 7.       | <ul><li>( copy of the order to be enclosed)</li><li>Name and Post of the Officer by whom the order is passed</li></ul> |  |  |  |  |
| 7.<br>8. |  |  |  |  |  |
|          | Contravention of rules for which order was passed  |  |  |  |  |
| 9.       | Operative part of order  |  |  |  |  |
| 10.      | Date on which the copy of order received by the appellant  |  |  |  |  |
| 11.      | Date of completion of 30 days Limitation period  |  |  |  |  |
| 12.      | Brief facts of the case  |  |  |  |  |
| 13.      | Grounds of Appeal  |  |  |  |  |
| 14.      | Prayer of the Appellant  |  |  |  |  |
| 15.      | Fee and transaction details  |  |  |  |  |
| 16.      | Other details with supporting documents, if any  |  |  |  |  |

## Verification

I\_\_\_\_\_, the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Name and Signature of the Appellant

Date:

Place:

|     | FORM-B  |  |  |
|-----|---|--|--|
|     | (See rule 19)                                   |  |  |
|     | Application for Compounding of Offence          |  |  |
| 1.  | Name(s) of the Applicant                        |  |  |
| 2.  | Address   |  |  |
| 3.  | Email Address                                   |  |  |
| 4.  | Phone No.                                       |  |  |
| 5.  | The Authority before whom the case is pending : |  |  |
| 6.  | Contravention of sections or rules              |  |  |
| 7.  | Brief facts of the case                         |  |  |
| 8.  | Any other information relevant to the case      |  |  |
| 9.  | Prayer of the Applicant                         |  |  |
| 10. | Fee and transaction details                     |  |  |
| 11. | Attachment, if any                              |  |  |

## Verification

I\_\_\_\_\_, the applicant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Name and Signature of the Applicant

Date:

Place:

[F. No. AV/25/2023-D G] SHOBHIT GUPTA, Jt. Secy.